न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—70/2016/225 (2016/00070)

1. मिठ्ठनलाल पुत्र श्योजी,
2. नन्दलाल पुत्र श्योजी,
3. ओमप्रकाश पुत्र श्योजी,
4. भंवरलाल पुत्र श्योजी

समस्त जाति माली, निवासी लसाड़िया, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. हेमराज पुत्र रामकिशन शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी खेजडावास, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।
3. उप पंजीयक, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, दिनांक 29.1.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 164/2014.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1 व 2.

निर्णय

दिनांकः— 18.7.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 29.1.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वाके ग्राम चक जूनिया, तहसील केकड़ी में साबिक आराजी खसरा नंबर 14/3 जिसके हाल खसरा नंबर 29 रकबा 10 बीघा स्थित है । यह आराजी लगभग 50 वर्षो से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है । पूर्व में श्रीमती अयोध्या देवी बेवा राधाकिशन ब्राहमण, निवासी खेजड़ावास ने एक वाद इसी न्यायालय में पेश किया जो अयोध्यादेवी बनाम श्योजी पुत्र जगन्नाथ माली के नाम से मुकदमा नंबर 130/78 चला जो निर्णय दिनांक 26.9.1979 अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का खारिज किया जा चुका है । तब से आज दिवस तक प्रार्थीगण के पिता व उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण ही वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है । अतः कब्जे के मुताबिक प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार किया

जाकर अप्रार्थी को जरिये निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 29.1.2016 द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र संख्या 130/1978 निर्णय दिनांक 26.9.1979 की प्रति प्रस्तुत की गई थी, जिसमें पारित निर्णय अनुसार रिकार्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा परिवर्तनशील संवत् 2023, खसरा गिरदावरी संवत् 2031 से 2032, घटनाबही दिनांक 1.10.1965 एवं 1966, नकल दावा दिनांक 11.9.1970 तथा नकल निर्णय दिनांक 7.12.1971 पेश किये गये थे तत्पश्चात् निर्णय दिनांक 26.9.1979 द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र संख्या 130/78 बउनवानी अयोध्या देवी बनाम श्योजी वगै0 खारिज किया गया था क्योंकि रिकार्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से विवादित भूमि पर सन् 1965 से अपीलांटस का कब्जा काश्त सिद्ध था । तत्पश्चात् अयोध्यादेवी का मूल वाद भी दिनांक 30.1.1984 को निरस्त हो गया था । उक्त वाद श्रीमती अयोध्यादेवी ने धारा 183 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश किया था जिसमें विवादित आराजी पर अपीलांटस का ही कब्जा काश्त माना है। उक्त समस्त तथ्यों से यह पूर्णतया स्पष्ट था कि विवादित आराजी पर अपीलांटस का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु अधी0न्याया0 ने उपरोक्त सभी दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रशासन शहरों की ओर में श्रीमती अयोध्या देवी द्वारा शिकायत पेश करने पर दिनांक 19.10.1983 को यह आदेश पारित किया गया था कि अपीलांटस के पिता श्योजी वगैरह से कब्जा लेकर श्रीमती अयोध्या देवी के मुख्तयारआम को कब्जा संभलाया जावे । उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांटस के पिता श्योजी एवं अपीलांटस द्वारा मान0 राजस्व मण्डल के समक्ष प्रार्थना पत्र टी.ए. संख्या 36/1983 बउनवानी श्योजी वगैरह बनाम अयोध्या देवी प्रस्तुत किया गया जिसे मान0 मण्डल की एकलपीठ द्वारा दिनांक 6.6.1991 को स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 19.10.1983 को निरस्त कर दिया । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपने एकतरफा आदेश में यह अंकित किया है कि साबिक खसरा नंबर 14/3 हाल 29 की जमाबंदी प्रार्थी व अप्रार्थी किसी ने भी पेश नहीं की है । वही अपने निर्णय में रेस्पो0 संख्या 1 को जरिये नामांतकरण संख्या 21 खातेदार होना मानते हुए अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है जबकि अपीलांटस द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह निवेदन किया जा चुका था कि विवादित भूमि अपीलांटस के पिता श्योजी के कब्जे काश्त में चली आ रही थी तत्पश्चात् अपीलांटस काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन त्रुटिपूर्ण रूप से श्रीमती अयोध्यादेवी निवासी खेजडावास जिला टोंक को सन् 1965 में आवंटन कर दी गई जिस पर उसका कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा अयोध्या देवी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र धारा 212 भी खारिज हो चुके है । घटनाबही दिनांक 1.10.1965 के अनुसार भी विवादित भूमि पर कब्जा काश्त अपीलांटस का ही सिद्ध है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने इन सभी दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज कर अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांटस का प्रार्थना पत्र निरस्त करने में त्रुटि कारित की है ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि मान0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है तथा पूर्व में निर्णय हो जाने से भी मामला क्षैत्राधिकार में नहीं होना जाहिर होता है । इस प्रकार अधी0न्याया0 उक्त प्रकरण को उनके क्षैत्राधिकार में नहीं मानते थे तो उन्हें प्रकरण में निर्ण्य पारित करने के बजाय सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटा देना चाहिये था । श्रीमती अयोध्या देवी के हक में पारित आवंटन आदेश के विरूद्ध अपीलांटस ने मान0 उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका पेश की है जो विचाराधीन है जबकि प्रस्तुत प्रकरण अपीलांटस द्वारा खातेदारी उद्घोषणा बाबत् पेश किया गया है जो पृथक प्रकरण है । धारा 212 के प्रकरण में प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, कब्जा तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं को ही देखना होता है, यह समस्त घटक अपीलांटस के पक्ष में साबित होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 29.1.2016 निरस्त किया जावे तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1995 पेज 640 एवं 617 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया ।

6. जवाब बहस में विद्वान रेस्पो0 1 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात रेस्पो0 को सन् 1965 में आवंटित हुई थी । अपीलांटस ने केवल मात्र कब्जे काश्त के आधार पर दावा पेश किया है जबकि नियमों में कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है । अपीलांटस धारा 13, 15 व 19 के तहत ही वाद ला सकते है । बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पो0 को आवंटित होने से उक्त आवंटन के प्रभावी रहते अपीलांटस को किसी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1998 पेज 79, आर0बी0जे0 2004 पेज 270, आर0बी0जे0 2005 पेज 87, आर0बी0जे0 2006 पेज 21, आर0बी0जे0 2000 पेज 773 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का था जिसमें अधी0न्याया0 को प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं को देखना था । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थी/अपीलांट द्वारा पक्षकारान के मध्य पूर्व पारित निर्णय प्रकरण संख्या 130/78 श्रीमती अयोध्या देवी बनाम श्योजी निर्णय दिनांक 26.9.1979 अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश किया गया जिसमें अधी0न्याया0 द्वारा पूर्व में अपीलांटस के पिता श्योजी का अपीालधीन भूमि पर कब्जा काश्त मानते हुए श्रीमती अयोध्यादेवी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया एवं स्वंय अयोध्यादेवी द्वारा अपीलांटस के पिता से अपीालधीन भूमि से कब्जा लेने के संदर्भ में अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 183 राज0काश्त0अधि0 मुकदमा नंबर 33/82 प्रस्तुत किया । उक्त वाद को अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 30.1.1984 को निरस्त कर दिया गया । उपरोक्त दोनों न्यायिक निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में प्रथमदृष्टया अपीलांटस के पिता का कब्जा काश्त अपीलाधीन भूमि पर सिद्ध होता है । अपीलांटस अथवा अपीलांटस से अयोध्यादेवी द्वारा विधिवत् कब्जा लिया गया हो ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं

है । अपीलांटस के पिता श्योजी की मृत्यु उपरांत अपीलाधीन भूमि पर कब्जा काश्त अपीलांटस का चला आया है जिसकी सुरक्षा हेतु प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश किया गया है परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा उपरोक्त दोनों न्यायिक निर्णयों के पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद बिना न्यायिक निर्णयों का अवलोकन किये केवल इस आधार पर प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया कि अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में राजस्व अभिलेख पेश नहीं किये गये है जो विधिसंगत नहीं माना जा सकता है । प्रथमदृष्टया प्रकरण उपरोक्त दोनों न्यायिक निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन भूमि पर अपीलांटस का कब्जा काश्त सिद्ध होता है । यदि दौराने वाद अपीलांटस को विवादित भूमि से बेदखल कर दिया जाता है अथवा भूमि खुर्द–बुर्द अथवा हस्तातंरित कर दी जाती है तो न केवल कानूनी पेचिदगियां बढ़ेगी वरन् विवाद भी बढ़ेगा एवं अपीलांटस को भारी असुविधा एवं अपूर्णीय क्षति कारित होने की भी संभावना रहेगी । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त तथ्यों को नजरअदांज कर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.1.2016 को निरस्त किया जाता है तथा उभयपक्षों को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम चकजूनिया ग्राम लसाडिया, तहसील केकड़ी स्थित साबिक आराजी खसरा नंबर 14/3 हाल खसरा 29 रकबा 10 बीघा पर मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं रहन, बैचान, हस्तातंरित नहीं करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 18.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर